

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाग, जयपुर)

टेलीफॉक्स नं. 0141-2222403, 2229314

ईमेल-addlblsg@gmail.com

क्रमांक : भूमि/एफ7(ड)/जनरल/CGD/डीएलबी/22/12301-540 दिनांक : 19/10/22

आयुक्त/अधिसाधी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- नगरीय क्षेत्रों में सीएनजी पम्प लगाने हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य सचिव महादेया द्वारा City Gas Distribution के संबंध में आयोजित वी.सी. दिनांक 23.09.2022 में दिये गये निर्देशों एवं विभाग द्वारा जारी City Gas Distribution Policy दिनांक 23.11.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान द्वारा दिनांक 23.09.2022 को State level Task force on "City Gas Distribution" के संबंध में आयोजित वी.सी. में दिये गये निर्देशों के क्रम में लेख है कि नगरीय क्षेत्र में सीएनजी पम्प लगाने हेतु स्थान आरक्षित करावें जिससे की इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर भूमि आवंटन किया जा सकें। सुलभ सदर्थ हेतु नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 11(6)UDH/JAIPUR/2020 दिनांक 03.11.2021 द्वारा जारी City Gas Distribution Policy की छायाप्रति उपलब्ध कराई जा रही है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं सयुक्त सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ7(ड)/जनरल/CGD/डीएलबी/22/12541-85 दिनांक : 19/10/22

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
05. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
06. सयुक्त निदेशक, IT Cell, निदेशालय को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त निदेशक